[Extract from Haryana Government Gazette, dated the 11th October, 2013]

HARYANA GOVERNMENT

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

The 11th October, 2013

No. PF-51/54050 .-- In exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with sub-section (2) of section 24 of the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Act, 1975 (8 of 1975) and with reference to Haryana Government, Town and Country Planning Department, notification No. PF-51/23000, dated the 21st November, 2012, the Governor of Haryana hereby makes the following rules to further amend the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Rules, 1976, namely:- .

1. These rules may be called the Haryana Development and Regulation of Urban Areas (Amendment) Rules, 2013.
2. These shall be deemed to have come into force on the 21st November, 2012.
3. In the Haryana Development and Regulation of Urban Areas Rules, 1976, for rule 17, the following rule shall be substituted, namely:-

"17. Transfer of licence.- (1) The colonizer may transfer the licence granted to him under rule 12 to any other person with the approval of the Director by making an application to the Director along with administrative charges at the rate of ten percent of the fee prescribed under rule 3 for issuance of such licence, as applicable at the time of making an application for transfer of licence:

Provided that in case part of licenced area is proposed to be transferred, the administrative charges shall be levied on only such part of licenced area, which is proposed to be transferred.

(2) The Director, after receipt of such request for transfer of licence shall examine the matter on merits and may grant in-principle approval for transfer of licence or reject the application.

(3) After in-principle approval by the Director under sub-rule (2) above, the proposed transferee of licence shall submit the documents and fulfill all the terms and conditions laid down in the approval letter within ninety days from the issuance of such approval, which shall be considered by the Director, and if satisfied, may grant final permission for transfer of licence. The Director may also extend the time limit of ninety days for a further period of thirty days, if he is satisfied with the reasons given by the proposed transferee for delay in fulfillment of conditions within the prescribed time limit of ninety days. After expiry of this period of ninety or one hundred and twenty days, as the case may be, if the documents are not submitted or the terms and conditions are not fulfilled, the in-principle approval shall lapse and the administrative charges deposited by the applicant shall be forfeited.".

T.C. GUPTA
Principal Secretary to Government, Haryana,
Town and Country Planning Department

51590---C.S.---H.G.P. Chd.

[Extract from Haryana Government Gazette, dated the 11th October, 2013]

हरियाणा सरकार

नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग

अधिसूचना

दिनांक 11 अक्तूबर, 2013

संख्याः पी.एफ.–51/54050.– हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन अधिनियम, 1975 (1975 का 8) की धारा 24 की उपधारा (2) के साथ पठित उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग, अधिसूचना संख्या पी0एफ0–51/23000, दिनांक 21 नवम्बर, 2012 के प्रतिनिर्देश से, हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा, हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन नियम, 1976 को आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:–

(1) ये नियम हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन (संशोधन) नियम, 2013 कहे जा सकते हैं।

(2) 21 नवम्बर, 2012 से लागू हुए समझे जाएंगे।

(3) हरियाणा नगरीय क्षेत्र विकास तथा विनियमन नियम, 1976 में, नियम 17 के स्थान पर, निम्नलिखित नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा; अर्थात्:–

"**17. लाइसेंस का अन्तरण.–** (1) उपनिवेशक, नियम 12 के अधीन उसको दिया गया लाइसेंस ऐसे लाइसेंस को जारी करने के लिए नियम 3 में विहित फीस, जो लाइसेंस के अन्तरण के लिए आवेदन करने के समय पर लागू है, के दस प्रतिशत की दर से प्रशासकीय प्रभार सहित निदेशक को आवेदन करते हुए निदेशक के अनुमोदन से किसी अन्य व्यक्ति को अन्तरित कर सकता है :

परन्तु यदि अनुज्ञप्त क्षेत्र का भाग अन्तरित किया जाना प्रस्तावित है, तो प्रशासकीय प्रभार केवल ऐसे अनुज्ञप्त क्षेत्र के भाग पर ही उद्गृहित किया जाएगा, जो अन्तरित किया जाना प्रस्तावित है।

(2) निदेशक लाइसेंस के अन्तरण के लिए ऐसे अनुरोध की प्राप्ति के बाद गुणागुण पर मामले की जांच करेगा तथा लाइसेंस के अन्तरण के लिए सिद्वान्त रूप में अनुमोदन प्रदान कर सकता है या आवेदन अस्वीकार कर सकता है।

(3) उपरोक्त उपनियम (2) के अधीन निदेशक द्वारा सिद्वान्त रूप में अनुमोदन के बाद लाइसेंस का प्रस्तावित अंतरिती दस्तावेज़ प्रस्तुत करेगा तथा ऐसे अनुमोदन के जारी होने से नब्बे दिन के भीतर अनुमोदन पत्र में अधिकथित सभी निबंधनों तथा शर्तों को पूरा करेगा जिसे निदेशक द्वारा विचारा जाएगा, तथा यदि सन्तुष्टि हो जाती है, तो लाइसेंस के अन्तरण के लिए अन्तिम अनुज्ञा प्रदान कर सकता है। निदेशक तीस दिन की और अवधि के लिए नब्बे दिन की समय सीमा को भी बढ़ा सकता है, यदि वह नब्बे दिन की विहित समय सीमा के भीतर शर्तों को पूरा करने में विलम्ब के लिए प्रस्तावित अंतरिती द्वारा दिये गए कारणों से सन्तुष्ट हो जाता है। नब्बे या एक सौ बीस दिन, जैसी भी स्थिति हो, की इस अवधि की समाप्ति के बाद यदि दस्तावेज़ प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं या निबन्धन तथा शर्तें पूरी नहीं की जाती हैं, तो सिद्वान्त रूप में अनुमोदन समाप्त हो जायेगा तथा आवेदक द्वारा जमा प्रशासकीय प्रभार जब्त हो जाएंगे।"।

टी0 सी0 गुप्ता
प्रधान सचिव, हरियाणा सरकार,
नगर तथा ग्राम आयोजना विभाग।

51590---C.S.---H.G.P. Chd.